प्रबन्ध परिषद् की पांचवी बैठक का कार्यवृत्त

(Minutes of 5th Meeting of the Board of Management)

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार की प्रबन्ध परिषद् की पांचवी बैठक दिनांक 26 फरवरी, 2018 को भा.कृ.अ.प.– भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, कौलागढ़ रोड़, देहरादून में सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति एवं प्रबन्ध परिषद् के अध्यक्ष प्रो0 सी0एम0 शर्मा द्वारा की गई।

प्रबन्ध परिषद् की बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:–

1.	प्रो0 सी0 एम0 शर्मा, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	डा0 राम बिलास यादव अपर सचिव, कृषि एवं कृषि शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन	–	सदस्य
3.	डा0 पी0 के0 मिश्रा, निदेशक, भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान (आई0सी0ए0आर0 प्रतिनिधि)	–	सदस्य
4.	अपर निदेशक कृषि, कृषि निदेशालय, देहरादून (प्रतिस्थानी निदेशक कृषि)	–	सदस्य
5.	डा0 एस0 एस0 बिष्ट, निदेशक, पशुपालन, उत्तराखण्ड	–	सदस्य
6.	डा0 कमल सिंह, पशुधन प्रजनक	–	सदस्य
7.	डा0 एम0 सी0 नौटियाल, जाने माने उद्योगपति या उत्पादक	–	सदस्य
8.	डा0 अरविन्द शुक्ला, प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक	–	सदस्य
9.	श्री विजय सिंह जड़धारी, प्रगतिशील किसान	–	सदस्य
10.	सुश्री रंजना रावत, उल्लेखनीय महिला सामाजिक कार्यकर्ता	–	सदस्य
11.	वित्त नियंत्रक, वी.च.सिं.ग.उ.औ.एवं वा.वि.वि., भरसार	–	सदस्य
12.	डा0 वी0 पी0 खण्डूड़ी, कुलसचिव	–	सदस्य सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति महोदय द्वारा सभी उपस्थित माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। इसके उपरान्त सदन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। कार्यवाही के प्रारम्भ में कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय के बारे में सदन को एक प्रस्तुतीकरण दिया गया, जिसमें विश्वविद्यालय की प्रगति रिपोर्ट एवं चल रहे कार्यक्रमों के साथ–साथ विश्वविद्यालय में स्वीकृत पदों के बारे में भी मा0 प्रबन्ध परिषद के सदस्यों को अवगत कराया गया। तत्पश्चात् कुलपति महोदय की आज्ञा पर कुलसचिव द्वारा कार्यसूची (Agenda) के प्रस्तावों को एक–एक कर प्रबन्ध परिषद के सम्मुख विचारार्थ रखा गया।

प्रस्ताव सं0 2018:05:02

दिनांक 14 सितम्बर 2016 को सम्पन्न प्रबन्ध परिषद् की तृतीय बैठक में पारित कार्यवृत्त का पुष्टीकरण।

प्रबन्ध परिषद की पांचवी बैठक में मा0 प्रबन्ध परिषद की तृतीय बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2016 के सभी कार्यवृत्तों (Minutes) की पुष्टि पर सहमति व्यक्त की गई। परन्तु प्रस्ताव सं0 2016:03:10(1) जो कि प्रो0 बी0पी0 नौटियाल के विश्वविद्यालय में आमेलन से सम्बन्धित था, पर अध्यक्ष महोदय ने सदन को अवगत कराया कि उक्त प्रकरण पर उत्तराखण्ड शासन कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग–2 के द्वारा पत्र सं0 C.M-03/XIII-II/18-01(06)/2017], दिनांक 29 जनवरी, 2018 के माध्यम से प्रो0 नौटियाल के आमेलन पर जांच आख्या शासन को उपलब्ध कराने हेतु कहा गया है।

प्रस्ताव सं0 2018:05:03

दिनांक 28 दिसम्बर 2017 को सम्पन्न मा0 प्रबन्ध परिषद् की चतुर्थ बैठक (आकस्मिक) में कार्यवृत्त/ पारित संकल्प (Minutes) पर की गई कार्यवाही की समीक्षा।

पांचवी प्रबन्ध परिषद की बैठक में प्रबन्ध परिषद की चतुर्थ बैठक (आकस्मिक) दिनांक 28 दिसम्बर 2017 के कार्यवृत्तों (Minutes) की पुष्टि की गई।

प्रस्ताव सं0 2018:05:04 नियुक्तियों के संबंध में प्रस्ताव

क्रम संख्या	विषय
05:04 / 01	Advertisement Notice No. UUHF/DT/F.No.01/01 of 2016 दिनांकित 15.10.2016 को जारी रिक्ति विज्ञापन के सापेक्ष वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार के अन्तर्गत विभिन्न विषयों में प्राध्यापकों / सह–प्राध्यापकों / सहायक प्राध्यापकों वेतनमान रु0 37400–67000; एजीपी–10000 / 9000 एवं रु0 15600–39100; एजीपी–6000 के क्रम में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा महामहिम कुलाधिपति / श्री राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड को भेजे गये विषय विशेषज्ञों के पैनल एवं राजभवन के पत्र संख्या 2893 / जी0एस0 / शिक्षा / C13-3 / 2017, दिनांकित 06.11.2017 द्वारा अनुमोदित चयन समिति / विषय विशेषज्ञों की कार्योत्तर स्वीकृति एवम् साक्षात्कारोपरान्त चयनित सह–प्राध्यापकों / सहायक प्राध्यापकों के मुहरबंद परिणामों के अनुमोदन एवं घोषणा किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।
05:04 / 02	Advertisement No.UUHF/Direct Recruitment / AICRP-Scientists/01/2017] दिनांकित 16.03.2017 को जारी रिक्ति विज्ञापन के सापेक्ष अखिल भारतीय समन्वित शोध परियोजनाओं के अन्तर्गत जू0एग्रोनॉमिस्ट / सहायक प्राध्यापक (एग्रोनॉमी) वेतनमान रु0 15600–39100; एजीपी–6000 के क्रम में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा महामहिम कुलाधिपति / श्री राज्यपाल महोदय को भेजे गये विषय विशेषज्ञों के पैनल एवं राजभवन उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 2893 / जी0एस0 / शिक्षा / C13-3 / 2017, दिनांकित 06.11.2017 द्वारा अनुमोदित चयन समिति / विषय विशेषज्ञों की कार्योत्तर स्वीकृति एवम् साक्षात्कारोपरान्त चयनित जू0एग्रोनॉमिस्ट / सहायक प्राध्यापक (एग्रोनॉमी) के मुहरबंद परिणामों के अनुमोदन एवं घोषणा किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।

उपरोक्त प्रस्ताव क्रम संख्या 05:04/01 पर सीधी भर्त्ती के पदों हेतु प्राप्त आवेदन–पत्रों पर चयन हेतु परिनियमों के अनुसार नियमित चयन समितियाँ गठित की गई। जिसमें चयन समिति हेतु भेजे गये विषय विशेषज्ञों के पैनल में से श्री राज्यपाल महोदय/महामहिम कुलाधिपति द्वारा नामित विशेषज्ञ सम्मिलित थे। इस प्रकार विभिन्न विषयों में सह–प्राध्यापकों वेतनमान रु0 37400–67000; एजीपी–9000 एवं सहायक प्राध्यापकों वेतनमान रु0 15600–39100; एजीपी –6000 के पदों पर चयन समितियों द्वारा संस्तुत किये गये अभ्यर्थियों के नाम तथा वरिष्ठता क्रम की सूची मुहरबन्द लिफाफे में सुरक्षित रखे गये थे। इन मुहरबन्द लिफाफों को मा0 प्रबन्ध परिषद् के सदस्यों की अनुमति के उपरान्त मा0 प्रबन्ध परिषद् के समक्ष खोला गया। चयनित अभ्यर्थियों की सूची विषयवार निम्नानुसार है–

पदनाम	महाविद्यालय	लिफाफा संख्या	चयनित किये गये अभ्यर्थियों के नाम
Assistant Professor (Forestry with specialization in Forest Products & Utilization)	वानिकी महाविद्यालय, रानीचौरी	01	Mr. Pankaj Lal
Associate Professor (Forestry with specialization in Forest Products & Utilization)	वानिकी महाविद्यालय, रानीचौरी	02	Dr. Amol Vasishth
Assistant Professor (Physics)	वानिकी महाविद्यालय, रानीचौरी	03	Dr. Manoj Kumar Riyal
Assistant Professor (Forestry with specialization in Extension Education)	वानिकी महाविद्यालय, रानीचौरी	04	Dr. Taufiq Ahmad
Assistant Professor (Food Process Engineering/Food Engineering)	खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, माजरीग्रांट, देहरादून	05	Dr. Suman Singh
Associate Professor (Food Process Engineering/Food Engineering)	खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, माजरीग्रांट, देहरादून	06	Dr. Umesh Chandra Lohani
Asscoiate Professor (Envirnomntal Sciences)	वानिकी महाविद्यालय, रानीचौरी	07	Dr. Sarswati Prakash
Assistant Professor (Forestry with specialization in Agro-Forsetry)	वानिकी महाविद्यालय, रानीचौरी	08	Dr. Chatar Singh
Asscoiate Professor (Forestry with specialization in Agro-Forsetry)	वानिकी महाविद्यालय, रानीचौरी	09	Dr. Arvind Bijlwan
Assistant Professor (Soil Science)	वानिकी महाविद्यालय, रानीचौरी	10	Dr. Deepa Rawat

Assistant Professor (Soil Science)	औद्यानिकी महाविद्यालय, भरसार	11	Dr. Khumukcham Chandra Kumar Singh
Assistant Professor (Agronomy)	औद्यानिकी महाविद्यालय, भरसार	12	Km. Gargi Goswami
Assistant Professor (Agronomy)	पर्वतीय कृषि महाविद्यालय, चिरबटिया	13	Mr. Sumit Chaudhary
Assistant Professor (Agronomy)	औषधीय एवं सगंध पादप संस्थान, गैरसैंण	14	Dr. Madhulika Pandey
Asscoiate Professor (Agronomy)	औद्यानिकी महाविद्यालय, भरसार	15	Not Found Suitable

प्रस्ताव सं0 05:04/02 पर चयनित अखिल भारतीय समन्वित शोध परियोजनाओं के अन्तर्गत जू0एग्रोनॉमिस्ट/सहायक प्राध्यापक (एग्रोनॉमी) वेतनमान रु0 15600–39100; एजीपी–6000 के पदों पर चयन समितियों द्वारा संस्तुत किये गये अभ्यर्थियों के नाम के मुहरबन्द लिफाफे मा0 प्रबन्ध परिषद् के सदस्यों की सर्वसम्मति से मा0 प्रबन्ध परिषद् के समक्ष खोले गये। चयनित किए गए अभ्यर्थियों की सूची विषयवार निम्नानुसार है–

पदनाम/परियोजना	महाविद्यालय	लिफाफा संख्या	चयनित अभ्यर्थियों के नाम
Assistant Professor (Agronomy) **AICRP on Medicinal and Aromatic Plants & Betelvine (Bharsar Campus)**	औद्यानिकी महाविद्यालय, भरसार	16	Km. Deepa Joshi
Jr. Agronomist AICRP on Potential Crops (Ranichauri Campus)	वानिकी महाविद्यालय, रानीचौरी	17	Dr. Arunima paliwal

प्रस्ताव सं0 2018:05:05 **के0वी0के0 तथा विश्वविद्यालय में शिक्षणेत्तर पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त अभ्यर्थियों का पुष्टीकरण।**

विश्वविद्यालय के के0वी0के0 में विषय वस्तु विशेषज्ञ एवम् शिक्षणेत्तर श्रेणी के सहायक अधिष्ठाता छात्र कल्याण, जन सम्पर्क अधिकारी, लेखाधिकारी एवं वैयक्तिक सहायक पदों पर विश्वविद्यालय की परिनियमावली/सेवा नियमावली में निहित प्राविधानों के तहत सीधी भर्ती प्रक्रिया अपनाते हुये निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति की गई:–

के0वी0के0 में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त विभिन्न विषय वस्तु विशेषज्ञः

1. सुश्री मीनाक्षी डोभाल	–	पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान (अन्य पिछड़ा वर्ग)
2. सुश्री शिखा	–	मृदा विज्ञान (अनुसूचित जाति)
3. डा. आशीष त्यागी	–	पादप सुरक्षा (सामान्य)

विश्वविद्यालय में शिक्षणेत्तर पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त अभ्यर्थी

1. डॉ0 अजय पालीवाल	–	सहायक अधिष्ठाता छात्र कल्याण
2. श्री वी.पी. सिंह	–	जन सम्पर्क अधिकारी
3. श्री विक्रम प्रसाद जोशी	–	लेखाधिकारी
4. श्री राहुल बिन्जोला	–	वैयक्तिक सहायक

उपरोक्त प्रस्ताव के पुष्टीकरण पर मा0 प्रबन्ध परिषद् ने सहमति प्रदान की। यहां पर मा0 प्रबन्ध परिषद को यह अवगत कराया गया कि लेखाधिकारी के पद पर चयनित श्री विक्रम प्रसाद जोशी को उनके अनुरोध पर तीन बार योगदान देने हेतु समय विस्तार दिया जा चुका है। अंतिम बार उन्हें दिनांक 30.06.2017 तक कार्यभार ग्रहण करना था। किन्तु उन्होंने आतिथि विश्वविद्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि श्री विक्रम प्रसाद जोशी विश्वविद्यालय में सेवा देने के इच्छुक नहीं हैं। अतः उनके स्थान पर मैरिट पैनल में द्वितीय स्थान के अभ्यर्थी श्री यतिन शाह को नियुक्ति हेतु आमंत्रण पत्र भेजे जाने हेतु प्रस्ताव मा0 प्रबन्ध परिषद् को पुष्टीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया। परन्तु मा0 प्रबन्ध परिषद् ने श्री यतिन शाह को नियुक्ति हेतु आमंत्रण पत्र भेजे जाने पर असहमति व्यक्त की तथा निर्देश दिया कि लेखाधिकारी के पद को विश्वविद्यालय अंतरिम व्यवस्था के रूप में प्रतिनियुक्ति पर भर्ती कर सकता है।

प्रस्ताव सं0 2018:05:06 **विश्वविद्यालय की वित्त समिति हेतु प्रबंध परिषद् के सदस्यों में से प्रबन्ध परिषद् द्वारा एक सदस्य नामित किये जाने के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त प्रस्ताव पर मा0 प्रबन्ध परिषद के सदस्य डा0 एस0 एस0 बिष्ट, निदेशक, पशुपालन, उत्तराखण्ड ने मा0 सदस्य डा0 कमल सिंह, (पशुधन प्रजनक) का नाम विश्वविद्यालय की वित्त समिति हेतु सदन के समुख प्रस्तावित किया तथा प्रस्ताव का अनुमोदन श्री विजय सिंह जड़धारी एवं अन्य सभी माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से किया गया।

प्रस्ताव सं0 2018:05:07

विश्वविद्यालय में कार्यरत नियमित कार्मिकों के स्वयं एवं पारिवारिक सदस्यों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय का विश्वविद्यालय के चिकित्सक द्वारा प्रमाणित/प्रतिहस्ताक्षर किये जाने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत निर्धारित दरों पर भुगतान की सहमति के सम्बन्ध में मा0 प्रबंध परिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विश्वविद्यालय की द्वितीय वित्त समिति की बैठक में विश्वविद्यालय में कार्यरत नियमित कार्मिकों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय का भुगतान चिकित्सा विभाग की राजकीय स्वीकृत दरों पर विश्वविद्यालय के चिकित्सक द्वारा प्रमाणित एवं प्रतिहस्ताक्षरित कर रू0 40,000.00 तक कार्यालय अध्यक्ष एवं रू0 1,00,000.00 (रू0 एक लाख) तक विभागाध्यक्ष की अनुमति से एवं रू0 1,00,000.00 (रू0 एक लाख) से अधिक के भुगतान हेतु शासन को सन्दर्भित किये जाने पर मा0 प्रबन्ध परिषद ने सहमति दी। अतः प्रस्ताव के पुष्टीकरण पर मा0 प्रबन्ध परिषद् ने अनुमोदन करते हुए निर्देशित किया कि रू0 1,00,000.00 (रू0 एक लाख) तक विभागाध्यक्ष की अनुमति के लिए अन्तिम अनुमोदन मा0 कुलपति का होगा।

प्रस्ताव सं0 2018:05:08

अपर जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल के पत्रांक 237/XI-(2017&2018) दिनांक नई टिहरी जनवरी 11, 2018 के सम्बन्ध में मा0 प्रबन्ध परिषद को अवगत कराया गया है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल द्वारा विश्वविद्यालय के शोध एवं प्रसार केन्द्र, काणाताल, टिहरी गढ़वाल में जीर्ण–शीर्ण अवस्था में पड़े दो कमरों के भवन में पुलिस चौकी स्थापित किए जाने की अनुमति चाही गई है। अतः प्रस्ताव मा0 प्रबन्ध परिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विश्वविद्यालय के शोध एवं प्रसार केन्द्र, काणाताल, टिहरी गढ़वाल में एक जीर्ण–शीर्ण भवन लगभग 12 मी0 X 09 मी0 के क्षेत्र में बना है जिसमे कुल 03 कमरे, एक बरामदा तथा एक शौचालय है। इसके साथ सामने की ओर लगभग 05 मीटर कच्ची भूमि (आंगन) तथा तीनों तरफ लगभग 2.5 मीटर में कच्ची भूमि लगी है। इस पर मा0 प्रबन्ध परिषद् ने पुलिस चौकी स्थपित किये जाने की सहमति 03 साल तक या उससे पहले पुलिस विभाग द्वारा कोई स्थाई व्यवस्था किये जाने तक (जो भी पहले हो) पर सहमति प्रदान की। साथ ही निर्देश दिया कि भवन के एक किनारे से जो रास्ता फार्म के भवनों हेतु जा रहा है वह विश्वविद्यालय के अधीन ही रहेगा।

प्रस्ताव सं0 2018:05:09

विश्वविद्यालय के शोध एवं प्रसार केन्द्र, गजा, टिहरी गढ़वाल में आम रास्ता केन्द्र के बीचों–बीच से गुजर रहा है जिसे एक तरफ किए जाने हेतु स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा दिनांक 12.02.2018 को निवेदन किया गया है। रास्ते को फार्म के एक तरफ किए जाने की दशा में विश्वविद्यालय के फार्म के बीच से जाने वाला रास्ता बन्द हो जायेगा। इससे विश्वविद्यालय के फार्म की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। अतः प्रस्ताव मा0 प्रबन्ध परिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

उपरोक्त प्रस्ताव पर मा0 प्रबन्ध परिषद् ने सहमति व्यक्त करते हुए यह सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय के गजा फार्म के बाहारी क्षेत्र से सड़क निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त फार्म के बीच से जाने वाला रास्ता आम जनता के लिए बन्द कर दिया जाय।

प्रस्ताव सं0 2018:05:10 **विश्वविद्यालय के मा0 प्रबन्ध परिषद् के सदस्यगणों को मा0 प्रबन्ध परिषद् की बैठकों में प्रतिभाग के फलस्वरूप मानदेय दिए जाने के सम्बन्ध में।**

मा0 प्रबन्ध परिषद् के सदस्यगणों को प्रबन्ध परिषद् की बैठक में उपस्थित होने पर रु. 2500.00 का मानदेय प्रस्तावित किया गया। जिस पर मा0 प्रबन्ध परिषद् के सदस्यों द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि मानदेय पदेन सदस्यों को छोडकर अन्य सदस्यों हेतु अनुमन्य होगा। मानदेय राशि मा0 सदस्यों द्वारा रू0 5000.00 (रू0 पॉच हजार मात्र) अनुमोदित करते हुए यह सुझाव दिया कि जो व्यवस्था गो0ब0 पन्त कृ0प्रौ0वि0वि0, पन्तनगर की प्रबन्ध परिषद् के सदस्यों हेतु अनुमन्य हो वही व्यवस्था लागू की जाय एवं यह धनराशि विश्वविद्यालय की वित्त समिति की आगामी बैठक में निश्चित की जाय।

प्रस्ताव सं0 2018:05:11अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य प्रस्ताव।

05:11/1 वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार में स्थायी कुलसचिव के चयन हेतु विशेषज्ञों के पैनल के अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव।

उपरोक्त प्रस्ताव पर मा0 प्रबन्ध परिषद् ने सहमति व्यक्त की।

05:11/2 वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी गढ़वाल के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा नियमावली में संशोधन हेतु दिए गए कार्मिकों के प्रस्ताव पर विचार–विमर्श।

शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने अपने पत्रांक VCSGUUHF/CoF/673 दिनांक 23.02.2018 के मांग सं0 01 जिसमे कि शिक्षणेत्तर कार्मिक सेवा नियमावली 2016 के परिशिष्ट 'क' पृष्ठ सं0 9 एवं 10 में वर्णित पद तकनीकी सहायक (क्रम सं0 37) एवं पद तकनीकी सहायक टिश्यू कल्चर/रिसर्च एसोसियेट टिश्यू कल्चर (क्रम सं0 38) के स्तम्भ 07 में नियुक्ति स्रोत में उल्लेखित पंक्ति "पदोन्नति द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत ऐसे तकनीकी सहायक/तकनीकी प्रयोगशाला सहायक में से जिन्हे न्यूनतम 15 वर्ष की सेवा का अनुभव हो", को इस प्रकार संशोधित किया जाय कि "पदोन्नति विश्वविद्यालय में कार्यरत तकनीकी सहायक/प्रयोगशाला सहायकों में से जिनके द्वारा 15 वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली गई हो", को भी प्रोन्नत्ति का लाभ दिया जा सके। उक्त प्रकरण पर मा0 प्रबन्ध परिषद् ने सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा नियमावली में उक्त संशोधन कर शासन से पुष्टि करा ली जाय।

शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने अपने पत्रांक VCSGUUHF/CoF/673 दिनांक 23.02.2018 के माध्यम से मांग सं0 02 के अनुसार सेवा नियमावली में परिशिष्ट 'क' के पद ''प्रयोगशाला सहायक'' (क्रम सं0 42) एवं पद तकनीकी सहायक (क्रम0सं0 40) को एक समान या समकक्ष पद समझे

जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित किया। इन पदों का वेतन बैंड तथा सीधी भर्ती हेतु शैक्षिक अर्हता/अनुभव एवं अधिमानी अर्हता एक समान उल्लेखित है। इस पर मा0 प्रबन्ध परिषद् ने सहमति व्यक्त करते हुए शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा नियमावली में उक्त संशोधन कर शासन से पुष्टि कराने हेतु निर्देशित किया। इसके साथ ही उनके अनुरोध पत्र के पद सं0–42 का वेतन बैंड 5200–20200 ग्रेड वेतन 1900 के स्थान पर ग्रेड वेतन 2400 संशोधित करने पर मा0 प्रबन्ध परिषद् ने संशोधन हेतु शासन के कृषि एवं कृषि शिक्षा अनुभाग को पत्र प्रेषित किये जाने पर सहमति व्यक्त की।

शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने अपने पत्रांक VCSGUUHF/CoF/673, दिनांक 23.02.2018 की मांग सं0 03 द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत ऐसे कार्मिक, जो मूल पद से अतिरिक्त/पृथक दायित्वों का निवर्हन कर रहे हैं उनका संवर्ग कार्यरत पद के अनुसार परिवर्तित किये जाने का निवेदन किया था। इस प्रकरण पर मा0 प्रबन्ध परिषद् ने निर्देशित किया कि पृथक दायित्व हेतु कर्मचारी को अतिरिक्त मानदेय की व्यवस्था कर दी जाय।

शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने अपने पत्रांक VCSGUUHF/CoF/673, दिनांक 23.02.2018 की मांग सं0 04 में विश्वविद्यालय में कार्यरत समूह 'घ' के कुछ कर्मचारियों, जो प्रोन्नति हेतु वॉछित योग्यता रखते हों, की उत्तराखण्ड शासनादेश सं0 857 दिनांक 13.08.2013 एवं संख्या 348 दिनांक 22.12.2016 के अनुपालन में अपनी प्रोन्नत्ति समूह 'ग' में किये जाने हेतु अनुरोध किया है। वर्तमान में समूह 'ग' के पदों के सापेक्ष विश्वविद्यालय में कार्यरत उपनल कार्मिकों का वेतन आहरित किया जा रहा जिस कारण समूह 'घ' में कार्यरत कार्मिकों की प्रोन्नति पर विश्वविद्यालय द्वारा गठित प्रोन्नति समिति ने विचार नहीं किया। इस पर मा0 प्रबन्ध परिषद् ने निर्देश दिये कि समूह 'ग' के पदों पर प्रोन्नति हेतु अतिरिक्त पदों की मांग शासन से की जा सकती है। इसके अतिरिक्त शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा नियमावली में समूह 'ग' के कनिष्ठ पदों पर भर्ती स्रोत सीधी भर्ती दर्शाया गया है। अतः उक्त पदों को पदोन्नति द्वारा भरने हेतु मा0 प्रबन्ध परिषद् ने उक्त सेवानियमावली में संशोधन कर शासन से अनुमोदित कराने पर सहमति व्यक्त की है।

शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने अपने पत्रांक VCSGUUHF/CoF/673 दिनांक 23.02.2018 की मांग सं0 05 द्वारा अनुरोध किया है कि विश्वविद्यालय में सेवारत समूह 'घ' के कई कार्मिक वि0वि0 की आवश्यकताओं के अनुरूप समूह 'ग' के पदों के दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं तथा वे समूह 'ग' के पद के लिए अर्ह हैं। इनमें से अधिकतर कार्मिक अपना पद परिवर्तित कराना चाहते हैं। इस प्रकरण पर मा0 प्रबन्ध परिषद् ने कहा कि ऐसे कर्मचारियों की पदोन्नति समूह 'ग' में नियमानुसार पद स्वीकृत एवं रिक्त होने पर की जा सकती है।

अन्त में अध्यक्ष महोदय ने मा0 प्रबन्ध परिषद् के सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया एवं तदोपरान्त सदन की कार्यवाही समाप्त कर दी गई।

कुलसचिव/सदस्य सचिव, प्रबंध परिषद्

कुलपति/अध्यक्ष, प्रबंध परिषद्